संपादकीय

भारत सरकार ने कृषि आय दोगुनी करने के लिए एक अंतर–मंत्रालय समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इस समिति में एक भी पूर्णकालिक किसान सदस्य नहीं है, इस कारण यह उतनी ही उपयोगी सिद्ध होगी जितना एक सुखा कुंआ। यूपीऐ सरकार ने भी एक राष्ट्रीय परामर्श समिति की नियुक्ति की थी जिसमें कई सदस्य थे लेकिन एक भी किसान सदस्य नहीं था।

जब खाद्य वस्तुओं के मूल्य बढते हैं तो सरकारी संस्थाऐं कृषि वस्तुओं का आयात करती हैं। वायदा कारोबार और खाद्य निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती हैं और माल रखने की सीमा भी तय कर देती है। लेकिन जब इन वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं तो सरकार कुछ नहीं करती है। समर्थन मूल्य देने का ढोंग रचा जाता है, यह घोषणा तब की जाती है जब कटाई का मौसम समाप्त हो जाता है और किसानों की उपजों को निजी व्यापारी पहले ही खरीद चुके होते हैं। अन्य देशों में किसानों को ज्यादा मूल्य देकर दालें आयात करने से भारत सरकार उन्हें तो आर्थिक सहायता दे देती है लेकिन भारतीय किसानों को कोई प्रोत्साहन या आर्थिक सहायता नहीं देती। भारत ने कनाडा जैसे देशों में अपनाई जा रही कृषि पद्धति अपनाने का प्रयास किया है लेकिन इससे घरेलू कृषि को कतई लाभ नहीं मिला है। हमारी समर्थन मूल्य नीति किसानों को गुमराह करती है कि चावल जैसी अधिक पानी वाली फसलें उगाऐं, जबकि वह दालों जैसे कम पानी की फसलों के आयात को प्रोत्साहित करती है। हम चीनी उद्योग को निर्यात प्रोत्साहन देते हैं लेकिन भारतीय किसानों को गन्ने की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं।

फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि मंडियां, भूमि स्वास्थ्य कार्ड, 'प्रति बूंद अधिक फसल' जैसे कई अच्छी पहल की गई हैं लेकिन इनका ढंग से क्रियान्वयन न होने के कारण नुकसान उठाना पडा है। समस्याओं का समाधान करने के 1 वर्ष बाद आरंभ की गई उन्नत नीति प्रभावशाली हो सकती है, न की लोगों को यह स्पष्ट करते रहना कि इन नीतियों को लागू करने में यह समस्याऐं आ रही हैं। नीति निर्माता यह मानते हैं कि वे समस्याओं को भलीभांति जानते हैं और इनका समाधान कर देंगे। लेकिन वास्तव में किसानों के बिना कृषि क्षेत्र को उपयोगी बनाना, इसका अर्थ समझना और सुविधाओं का लाभ पहुंचाऐ बिना निर्वाचक या किसान समय आने पर अपना विपरित निर्णय देने से पीछे नहीं हटते।

2 सूखे वर्षों के संबंध में उल्लेख करने के बाद संक्षेप में कहना चाहूँगा कि विपक्ष बुरी तरह से कृषि संकट को सदन में उठाने में विफल रहा है। जिस कारण सत्ता में सरकार को इस समस्या से छुटकारा पाने में सहायता मिली। अच्छा मॉनसून और अंतराष्ट्रीय बाजार में जिंसों के बढ़ते मूल्यों से भी किसानों की वेदना कम हो जाती है, इस कारण देशभर में यह संकट मिशन का रूप नहीं ले पाता। किसानों के समर्थन में कृषि आंदोलन राजनीतिक सकार रूख लाने में उपयोगी साबित हो सकता है, जिसकी अति आवश्यक्ता है।

डॉ० अभिजित सेन, पूर्व सदस्य, योजना आयोग

वित्त मंत्री की प्रशंसा करनी चाहिऐ, क्योंकि उनके पास बहुत कठिन जिम्मेवारी थी। सर्वप्रथम उन्हें राजस्व घाटे को कम करने के उद्देश्य के लिऐ उन्हें एक अच्छा व्यक्ति साबित करने के लिऐ अपनी सोच बनानी थी कि क्या वे एक वित्त मंत्री की तरह कार्य कर रहे हैं, जो राजस्व घाटे को कम करना चाहता है या उतना ही रखना चाहता है, अथवा क्या वे वास्तव में कुछ उल्लेखनीय कार्य भी करना चाहते हैं। उन्होंने निर्णय किया कि जहां तक राजस्व घाटे को कम करने का प्रश्न है, इस क्षेत्र में विशेष कार्य करेंगे। अतः उन्होंने करों से प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने का निर्णय लिया अथवा राजस्व से प्राप्त राशि का उपयोग करके। दूसरा, उन्होंने वेतन आयोग की सिफारिशें प्रस्तुत की जिसके अंतर्गत उन्हें बहुत बड़ी राशि का कर्मचारियों को भुगतान करना होगा। हम पूरी तरह से आशवस्त नहीं हैं कि इसके लिऐ कितना धन व्यय करना होगा, किंतु स्पष्ट है कि व्यय कम नहीं होगा। अतः बजट के अंतर्गत जिस प्रकार की घोषनाऐं की गई हैं उसका व्यय बड़ी राशि में होगा जिसके लिऐ वे प्रतिबद्ध हैं। बजट की कुल सीमित राशि में से ही बहुत से लोगों की मांगों को भी पूरा करना है। इन मांगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैः किसानों की वास्तविक मांगें। यही कारण है कि मैं मानता हूँ कि आपको बजट में हाथ की सफाई दिखाई देती है, यह सही नहीं है, कि वित्त मंत्रालय से रू. 15,000 करोड़ कृषि मंत्रालय में दिऐ जा रहे हैं, जैसी घोषणा की गई है, क्योंकि कहा जा सकता है कि कृषि ऋण माफ करना बेहतर तरीका है। यह कृषि क्षेत्र के लिऐ अच्छा संकेत है। लेकिन, यह हाथ की सफाई से अधिक कुछ नहीं है क्योंकि वास्तव में आप रू. 15,000 करोड़ अधिक नहीं दे रहे हैं बल्कि कृषि क्षेत्र को केवल रू. 2,000 करोड़ ही मिलेंगे। इसी प्रकार की विसंगतियां अन्य क्षेत्रों में भी हैं। उदाहरण के लिऐ नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवम् ग्रामीण विकास बैंक) को लगभग बजट में रू. 6,000 करोड़ अतिरिक्त राशि के रूप में देने की घोषणा की गई है, इसे भी कृषि पर व्यय के रूप में दिखाया गया है। अतः मैं यह मानता हूँ कि वित्त मंत्री की घोषणा को आशावादी नहीं माना जा सकता। मेरा मानना है कि वे भी इस बात को जानते हैं कि कृषि क्षेत्र को वास्तव में कितनी राशि मिलेगी। सच्चाई यह है कि उनके स्थान पर कोई भी वित्त मंत्री होता तो ऐसा ही करता, जैसा उन्होंने किया है। फिर भी उनके बजट को एक औसत बजट कहा जा सकता है। वित्त मंत्री की घोषणाओं का स्वागत किया जाना चाहिऐ।

किंतु, अंत में कृषि क्षेत्र को कितनी राशि मिलेगी ? अंत में कृषि विभाग के खाते में कितना रूपया आऐगा ? यह सब नोट करने की बात है लेकिन फिर भी कृषि को लगभग 30 प्रतिशत अधिक राशि देने की घोषणा की गई है, वह भी अगले वर्ष के लिऐ संशोधित अनुमान से रू. 15,000 करोड़ की कटौती करके अनुमानित बजट में शामिल की गई है। इस प्रकार यह राशि कम नहीं है। यह अन्य विषय होगा यदि आप वर्ष 2014–15 के वास्तविक व्यय से इस राशि की तुलना करेंगे तो यह केवल 9 प्रतिशत की वृद्धि ही बनती है। वास्तव में यह हुआ है कि 1 वर्ष की गणना वर्ष के मध्य से की गई है जबकि वास्तविक व्यय कम हुआ है और उसकी तुलना में यह साधारण वृद्धि ही है।

अब यदि हम बडे पैमाने पर स्पष्ट चित्र या वास्तविकता दिखाना चाहते हैं तो मैं केवल कृषि एवम् सहकारिता विभाग का ही उल्लेख नहीं करूँगा, बल्कि संपूर्ण कृषि मंत्रालय का उल्लेख करना चाहूँगा अर्थात् इसमें पशुपालन, कृषि अनुसंधान को भी शामिल किया जाऐ। लेकिन इसके बाद, मैं और क्षेत्रों पर भी प्रकाश डालना चाहूँगा। मैं इस बजट को कृषि बजट की तुलना में ग्रामीण बजट मानता हूँ क्योंकि कृषि मंत्रालय सड़कें नहीं बनाता, न ही यह सिंचाई सुविधाओं का निर्माण करता है, इस कारण संपूर्ण ग्रामीण विकास को शामिल किया जाना चाहिऐ, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा और सबकुछ इसके अतिरिक्त मैं इसमें जल संसाधन मंत्रालय को भी शामिल करना चाहूँगा ताकि सभी प्रकार की सिंचाई की सुविधाऐं इसमें शामिल हों। अब यदि आप इन तीनों बडे मंत्रालयों और इनके अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के कुल व्यय की गणना करें और इसके बाद रू. 15,000 करोड़ को या रू. 6,000 करोड़ को अलग कर दें तो आपके पास कितनी राशि बचेगी। वर्ष 2014–15 में इन तीनों मंत्रालयों ने मिलकर कुल रू. 102,000 करोड़ खर्च किऐ। वर्ष 2015–16 में संशोधित अनुमानित बजट लगभग रू. 110,000 करोड़ का है और अगले वर्ष के बजट में अनुमानित बजट रू. 122,000 करोड़ का है। दोबारा अगले वर्ष के लिऐ कृषि विभाग क्षेत्र के लिऐ लगभग 13 प्रतिशत है, वास्तव में जो 30 प्रतिशत से बहुत कम है।

किंतु, फिर भी में मानता हूँ कि 13 प्रतिशत राशि कम नहीं होती लेकिन चिंताजनक विषय है कि पिछले वर्ष इसमें लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी और इस वर्ष 13 प्रतिशत की वृद्धि करने का लक्ष्य है। और आप सभी मानते हैं कि कृषि क्षेत्र में संकट है और 9 प्रतिशत से इस संकट से छुटकारा नहीं मिलेगा और 13 प्रतिशत भी कम राशि ही है। और इसीलिऐ मैं सोचता हूँ कि सबसे महत्वूपर्ण यह है कि इस राशि को किस प्रकार व्यय या उपयोग में लाया जाऐगा, क्या पिछले वर्षों में जिस ढंग से संपूर्ण राशि खर्च की गई है, इस बार भी वही ढंग होगा ? इसके लिऐ मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूँगा। सिंचाई की तुलना में सडकों पर अधिक व्यय किया गया है। हालांकि व्यापक वृद्धि की गई है जो रू. 3,000 करोड़ से कम है लेकिन रू. 5,000 करोड़ की तुलना में बहुत कम है, फसल बीमा के लिऐ राशि कम की गई है। अन्य क्षेत्रों में अधिक वृद्धि होने का कारण कुल राशि में वृद्धि करना है, जैसा मैंने कहा था रू. 110,000 करोड़ से बढ़ाकर रू. 123,000 करोड़ अर्थात् कुल वृद्धि रू. 13,000 करोड़ की। वास्तव में, यदि

आप इस 6 या 7 हजार करोड़ रू. को समझदारी से और कारगर ढंग से उपयोग करें तो यह राशि बहुत बड़ी है। लेकिन एक क्षेत्र में व्यय नहीं किया जा रहा है या बहुत कम खर्च किया जा रहा है, वह है, पशुपालन क्षेत्र। इस क्षेत्र को सरकार लगातार नकारती आ रही है, वास्तव में पशुपालन क्षेत्र पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि हमें इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि सरकार का भी स्पष्ट संकेत है कि कृषि नीति की प्रकृति में परिवर्तन किया जाऐ। मेरा भी मानना है कि सरकार के संकेत का यही प्रयास है कि हम ध्यान केंद्रीत करें कि 1ः आधारभूत सुविधाऐं और जहां पर हम सड़कों का निर्माण कर सकें, यह ऐसा क्षेत्र है जिस पर शीघ्र कार्य किया जा सकता है क्योंकि सिंचाई का क्षेत्र राज्य का विषय है इस कारण हमें आधारभूत सुविधाओं पर अधिक ध्यान देना होगा और, 2ः वास्तव में हम प्रयास करेंगे और बीमा क्षेत्र के माध्यम से किसानों को सहायता देने का प्रयास भी करेंगे। मेरा मानना है कि इन दोनों क्षेत्रों पर ध्यान देना अत्यधिक उपयोगी होगा।

वास्तविकता यह है कि कृषि को जोखिम एक वस्तु या क्षेत्र से नहीं है जैसे की मौसम की कृपा। कृषि करना उतना ही जौखिम भरा है जितना की अन्य कोई भी व्यवसाय या अपने उत्पाद को बेचना। लेकिन, बजट में किसानों की फसलों के विपणन के बारे में कुछ नहीं किया गया है। न ही, वित्त मंत्री द्वारा बजट में इस विषय पर कोई प्रकाश डाला गया है। लेकिन, वित्त मंत्री को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिऐ क्योंकि अभी उनका यह दूसरा वर्ष है और पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र को दी गई कुल राशि से कम राशि आबंटित करने का कारण यह रहा कि राज्यों से आशा की गई थी कि वे 14वें वित्त आयोग के बाद अधिक व्यय करेंगे लेकिन हम नहीं जानते की क्या हुआ और न ही तब तक जान पाऐंगे जब तक राज्य बजट के लिऐ संशोधित अनुमान प्रस्तुत नहीं कर दिऐ जाते। यद्यपि हमें 3 या 4 राज्यों से आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन बाकी राज्यों से सभी आंकड़े अभी मिलते दिखाई नहीं देते। इस प्रकार उस स्थिति में क्या होगा जब राज्यों और केंन्द्र को इकट्ठा करने के बाद वास्तविक परिणाम सामने आऐगा। हम नहीं जानते और आशा है कि सभी राज्य कारगर कदम उठाऐंगे। दुर्भाग्यवश, सभी राज्य भी प्रायः उन क्षेत्रों को नकार रहे हैं जिन्हें केंन्द्र सरकार नकारती आ रही है, जैसे पशुपालन, विपणन क्षेत्र आदि। इसके लिऐ प्रमुख रूप से राज्य ही जिम्मेवार हैं, उदाहरण के लिऐ सभी राज्यों में कृषि उत्पाद विपण समिति (ऐपीऐमसी) में सुधार करने की कभी शुरूआत ही नहीं की गई। वित्त मंत्री को वास्तव में बजट में कई बातों की घोषणा करनी होती है क्योंकि बजट राजनीति से भी प्रेरित होता है, जिसमें लोक–लुभावन घोषणाऐं तो कई की जाती हैं लेकिन उन्हें लागू करने के लिऐ कोई उपाय नहीं किऐ जाते। नाबार्ड के बारे में जो भी राशि आबंटित की जाती है उसका कृषि बजट से क्या लेना–देना ? अतः वित्त मंत्री को इस पर ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि यह सरकार बहुत सी ऐसी समस्याओं को सामना कर रही है जिनकी पिछली सरकारों को सामना करना पड़ा था, मेरा अर्थ केवल यूपीऐ सरकार से ही नहीं है।

कृषि आय को दोगुना करना, एक बेतुका दावा है जो कभी सच नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि किसानों की वास्तविक आय दोगुनी हो जाना। इसके लिऐ आप को वास्तव में 14 प्रतिशत

वार्षिक की दर से किसानों की वास्तविक आय बढाने के लिऐ कदम उठाने होंगे। मेरा मानना है कि 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरा विचार है कि विश्व में कहीं भी किसी ने यह उपल्बधि प्राप्त नहीं की होगी। दूसरी तरफ यदि आप साधारण बोल–चाल में दोगुने का अर्थ नामिक वृद्धि में लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा पिछले 5 वर्षों में भी हो चुका है और यूपीऐ सरकार के पहले 5 वर्षों में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इसका प्रमुख कारण था कि कृषि वस्तुओं के दाम बढ़ गऐ थे न कि किसानों का उत्पादन बढ़ने से उनकी आय बढ़ी थी। साधारण भाषा में कहा जा सकता है कि वित्त मंत्री पर अत्यधिक दबाव रहता है। उन्हें, साधारण अथवा उपयोगी बजट करने में कई दबावों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत अच्छा दायित्व निभाने का प्रयास किया है जबकि उन पर अत्यधिक दबाव और उनके समक्ष कई प्रकार की समस्याऐं भी थीं।

श्री प्रभाकर केलकर, महासचिव, भारतीय किसान संघ (राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ से संबंध)

लोगों की संस्था की क्षमता में बोलते हुऐ मैं किसानों की और से कुछ सुझाव और समस्याऐं रखने का प्रयास कर रहा हूँ।

किसानों की आत्महत्या अपने आप में एक अत्यधिक नकारात्मक दबाव है और समाज पर धब्बा है। जिस व्यक्ति को हम अन्नदाता कहते हैं, वह व्यक्ति जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, वह आत्महत्या करने पर बाध्य है, इससे बढ़कर कुछ अधिक दर्दनाक या शर्मनाक नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि हमें कृषि को एक जीवन रक्षक समाधान के रूप में देखना चाहिऐ और किसानों के कल्याण के लिऐ जो कुछ भी हो सकता हो उसमें भागीदार बनना चाहिऐ। लेकिन, इस दृष्टिकोण को सदा ही नकारा गया है जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में निवेश कम होता जा रहा है। इसी का परिणाम है कि किसान खेती छोड़ रहे हैं और हम सभी कृषि व्यवसाय की दयनीय स्थिती से परिचित भी हैं। वास्तव में किसान क्या चाहता है ? वह बजट से क्या आशा करता है ?

हम सिर्फ 2 चीजें चाहते हैं – हमें हमारी फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाऐ और दूसरा, जो फसलें हम उगाते हैं उनकी खरीद के लिऐ अच्छी व्यवस्था की जाऐं।

इस बजट में लाभकारी मूल्य के लिऐ क्या घोषणाऐं की गई हैं ? वित्त मंत्री ने कहा है कि हम राज्यों को बाध्य करेंगे और निर्देश देंगे की सभी राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिंसों की अच्छी खरीद सुविधाऐं सुनिश्चित करे। लेकिन मेरे मित्र बात करते हैं कि वास्तविक्ता यह है कि देश के 86 प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं जिनके पास 1 हैक्टेयर से भी कम भूमि है। इस प्रकार जब आप अच्छी व्यवस्था की बात करते हैं तो आप वास्तव में करते क्या हैं ? किसके लिए करते हैं ?

क्या एक छोटे किसान, जिसके पास 10–12 क्विंटल अनाज है, क्या उसके लिऐ 10 कि.मी. के अंदर एक मार्किट उपलब्ध कराई जा सकती है। आज उसे अपनी जिंसों की बिक्री के लिऐ 25–30 कि.मी. स्थित दूर मंडी में जाना पड़ता है जो कि बिलकुल भी लाभदायक नहीं है। इस कार्य के लिऐ उसे 1 या 2 दिन के लिऐ किराऐ पर एक ट्रैक्टर या अन्य कोई लोड ले जाने वाला वाहन लेना होता है, इस अवधि में उसकी फसल का कुछ भी हो सकता है। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य का कभी सुझाव नहीं देते, लेकिन यदि आप हम पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का दबाव डालते भी हैं तो पर्याप्त खरीद की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।

दुर्भाग्यवश, आज हमारे देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां कोई खरीद केन्द्र नहीं हैं और छोटा किसान एक व्यापारी की प्रतीक्षा करता है जो उसके खेत से ही माल उठा ले। ऐसा करने पर उसे यदि रू. 1,400 का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता लेकिन वह अपनी जिंस रू. 1,200 या 1,100 के भाव पर भी बेचने को तैयार हो जाता है। यह एक खेदजनक और दुर्भाग्यवश परिस्थिति

है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस स्थिति का सही ढंग से विश्लेषण करने के योग्य बन सकेंगे।

इस बजट में कृषि क्षेत्र, खरीद, अच्छी मार्किट आदि देने के लिऐ कोई सुरक्षात्मक उपाय करने की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ई–मार्केटिंग का उल्लेख किया गया है, किंतु, क्या एक छोटा या मझौला किसान ई–मार्केटिंग को समझ पाऐगा, और इसका कितना फायदा उठा पाऐगा, यह सभी जानते हैं।

आज की ज्वलंत समस्या है कि व्यापारी किसान के घर या खेत से गेहूँ, धान आदि रू. 1,000 – 1,200 की सस्ती दर पर खरीद कर लेता है और किसान की डायरी दिखाकर उसकी उसी जिंस की बिक्री करके लगभग रू. 200 प्रति क्विंटल का लाभ कमाता है।

एक उपयोगी उदाहरण देता हूँ कि एक गाडी दो पटरियों पर दौड़ती है। यदि पटरियां मजबूत हैं और बिजली की पर्याप्त आपूर्ति है तो ट्रैन यथा संभव तेज दौड सकती है। लेकिन आज जिस ट्रैन को हमारे किसान चला रहे हैं वह अच्छी स्थिति में नहीं है। सभी जानते हैं कि कृषि क्षेत्र और किसान कृषि नामक ट्रैन को ढंग से क्यों नहीं चला पा रहे हैं। इसके लिऐ चाहे कभी निवेश की कमी, कभी वर्षा की कमी तो कभी औला–वृष्टि आदि अथवा सिंचाई के सीमित साधन जैसे किसी न किसी कारण से कृषि क्षेत्र को नुकसान ही उठाना पडता है। मेरे एक अन्य मित्र और वक्ता ने बताया है कि दो–तिहाई किसानों के पास सिंचाई सुविधाऐं ही नहीं हैं, लेकिन इस बजट में इसकी इच्छा दिखाई देती है। भारतीय किसान संघ हमेशा यही नारा देता है कि – समृद्ध ग्राम समृद्ध भारत। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी प्रयास कर लें, हाँ जब तक गांव समृद्ध नहीं होंगे, भारत कभी समृद्ध नहीं बन सकता।

मेरे 20–25 वर्ष के लंबे और महत्वपूर्ण कृषि अनुभव में पहली बार मैंने महसूस किया है कि बजट में मुख्य ध्यान गांव और किसानों पर दिया गया है, यहां इच्छा शक्ति दिखाई देती है। अब यह इच्छा शक्ति वास्तव में कितनी उपयोगी साबित होगी यह न केवल सरकार बल्कि सभी नागरिकों और किसानों की इच्छााओं पर भी निर्भर करता है। सरकार ने दो प्रकार के उपाय सुझाऐं हैं – अनुमान और वास्तविकता। अनुमान या लक्ष्य कि किसानों की आय दोगुनी होगी। मनरेगा द्वारा 10 लाख जैविक खड्डों की खुदाई का लक्ष्य, 5 लाख तालाब मनरेगा द्वारा तैयार किऐ जाने का लक्ष्य। लेकिन, अति महत्वपूर्ण यह है कि मनरेगा वास्तव में किस सीमा तक लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाऐगा। कई राज्यों में मनरेगा असफल रहा है। अब ऐसी कौन सी पद्धति अपनाई जाऐगी कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति में मनरेगा असफल नहीं होगा। इसका दायित्व केवल केन्द्रीय सरकार पर ही नहीं है, बल्कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों को सुनिश्चित करना होगा। कई ऐसे उदाहरण हैं यहां पर केन्द्र द्वारा निर्धारित योजना आरंभ की गई है लेकिन राज्यों में पहुंचते ही ऐसी योजना पूर्ण रूप में भिन्न हो जाती है। इसलिए मैं दोहराता हूँ कि जब तक केन्द्र और

राज्य दोनों मिलकर कृषि कल्याण का दृष्टिकोण नहीं अपनाऐंगे तब तक किसानों की स्थिति दयनीय ही रहेगी।

जब वित्त मंत्री ने बजट में शामिल करने के लिऐ हमारे सुझाव मांगने के लिऐ हमें बुलाया तो हमने वर्गवार लिखित में दिया की 5 जैविक कृषि विश्वद्यिालय खोले जाने चाहिऐं, क्योंकि जब तक हमारे कृषि वैज्ञानिक यह नहीं कहेंगे कि जैविक कृषि अपनाना अनिवार्य है तब तक किसान प्रेरित नहीं होंगे। आज हर व्यक्ति इस बात से सहमत है कि रासायनिक उर्वरक हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर रही है। किन्तु, वित्त मंत्री उस मांग से सहमत नहीं हैं। लेकिन उन्होंने 10 लाख कंपोस्ट खड्डे खोदने पर चर्चा की और उन्होंने जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिऐ रू. 400 करोड आबंटित करने का वायदा किया। किंतु, हमारे कृषि विकास केन्द्र में कार्य कर रहे लगभग 647 वैज्ञानिक जैविक कृषि के विकास में कारगर भूमिका निभा सकते हैं।

मेरा मानना है कि अब समय आ चुका है कि रासायनिक कृषि छोड़कर जैविक कृषि अपनाई जाऐ, इसमें न केवल कम पूंजी खर्च होती है बल्कि पानी का भी कम उपयोग होता है। सरकार को संपूर्ण शक्ति से जैविकता पर ध्यान देना चाहिऐ। हमारे सभी कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि रसायन (उर्वरक और कीटनाशक) के बिना हमारा देश बर्बाद हो जाऐगा और भूखे मरने की नौबत आ सकती है। हम उनकी इस सोच को कैसे बदल सकते हैं ?

जहां तक बजट का संबंध है, इसमें खाद्य प्रसंसाधन क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढाने का प्रस्ताव रखा गया है। हम इस प्रस्ताव से कतई सहमत नहीं हैं क्योंकि हमारा मानना है कि अपने देश की उत्पादकता बढाने के लिऐ देश के गांव में ही खाद्य प्रसंसाधन सुविधाऐं विकसित करनी चाहिऐं।

हम गांव से शहरों की ओर आने वाले ग्रामीणों को तब तक नहीं रोक सकते जब तक गांव में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते। आज ग्रामीणों को 180 दिन के आस–पास का रोजगार मिलता है, किंतु बाकी 180 दिनों के लिऐ क्या है ? गांव में स्थिति इतनी बद्तर है कि वहां नाई या मोटरसाईकिल, साईकिल पंक्चर लगवाने के लिऐ कोई भी नहीं मिलता है। इस कार्य के लिऐ भी 5–10 कि.मी. गांव से दूर जाना पड़ता है। अतः जब तक ग्रामीण रोजगार और कृषि व्यवसाय दोनों साथ–साथ विकसित नहीं होंगे, तब तक शहरों में बड़ी संख्या में किसानों का पलायन जारी रहेगा। इस बजट में इस ओर की गई कोई पहल दिखाई नहीं देती है।

एक अति महत्वपूर्ण वस्तु जो हम पिछले 2 वर्षों से कहते आ रहे हैं कि किसानों को सूखा या अत्यधिक वर्षा अथवा औला–वृष्टि का सामना करना पड़ता है जिससे फसल बर्बाद हो जाती है। फसल बीमा योजना जिसके लिऐ रू. 5,500 करोड़ आबंटित किऐ गऐ हैं, उसके लिऐ एक हैल्पलाईन अवश्य होनी चाहिऐ। यदि कोई गंभीर संकट हो तो कोई भी किसान उस नंबर पर फोन कर ले, जैसा कि चिकित्सा आपातकालीन स्थिति में 108 नंबर पर कहीं से भी फोन किया

जा सकता है, ताकि किसान को तत्काल सहायता मिल सके, उसकी समस्या का समाधान हो जाऐ।

यह बहुत अच्छा है कि आप फसल बीमा योजना की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक बीमा की राशि का दावा किया जाता है और किसान तक सहायता राशि पहुंचती है, तब तक प्रायः किसान दुनिया छोड़ चुका होता है।

इन दिनों रसायनिक उर्वरक के मामले में सीधे आर्थिक सहायता अंतरित करने का मुद्दा बहुत बडे पैमाने पर उठाया जा रहा है, लेकिन इस उपाय/समाधान की जटिलता को थोड़ा सा महसूस कीजिए। किसके खाते में आर्थिक सहायता की राशि जमा कराई जाऐगी, निसंदेह भूमि के मालिक के नाम। आज 40 प्रतिशत से अधिक लोग अपनी भूमि पर और लोगों से खेती करा रहे हैं। ये दोनों पक्ष इस राशि पर किस प्रकार से सहतम होंगे और किसे कितना लाभ मिलेगा यह विचारणीय है। सरकार ने कहा है कि हम बट्टाईदारों (किराऐ के किसान) के कल्याण पर भी विचार करेंगे।